बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांकः 6/रा0ग्रा0पे0यो0–103/13–   पटना, दिनांकः–

सेवा में,

महालेखाकार
बिहार, पटना।

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत बिहार राज्य के 30 जिलों के 1100 ग्रामीण प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में ओवर हेड टैंक के माध्यम से रनींग पेयजल की व्यवस्था तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख–रखाव हेतु रु0 1355.310 लाख (तेरह करोड़ पचपन लाख एकतीस हजार रुपये मात्र) की राशि पर प्रस्तुत योजना की स्वीकृति।

आदेशः राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत बिहार राज्य के 30 जिलों के 1100 ग्रामीण प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में ओवर हेड टैंक के माध्यम से रनींग पेयजल की व्यवस्था तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख–रखाव हेतु रु0 1355.310 लाख (तेरह करोड़ पचपन लाख एकतीस हजार रुपये मात्र) की राशि पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। योजना की जिलावार विवरण परिशिष्ट– 1 पर संलग्न है।

2. भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) अन्तर्गत ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना की लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। तदनुसार प्रस्तावित योजना में रू0 677.655 लाख रूपये केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार एवं शेष राशि रू0 677.655 लाख रूपये राज्यांश के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

इस योजना के परिचालन एवं रख–रखाव (Operation & Maintenance) हेतु राशि का वहन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत परिचालन एवं रख–रखाव (O&M) हेतु कर्णांकित (15 प्रतिशत) राशि से किया जाना है। प्रस्तावित योजना में पाँच वर्ष का परिचालन एवं रख–रखाव का प्रावधान है।

3. परिशिष्ट– I में जिलावार अंकित योजनाओं की लागत राशि में केन्द्रांश मद की राशि (50%) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (BSWSM) के NRDWP, Programme Fund के बैंक बचत खाता संख्या 31458965548 में उपलब्ध कराई गई राशि से योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को विमुक्त की जाएगी।

योजना की लागत राशि का शेष 50 प्रतिशत राज्यांश राज्य योजना मद से वहन किया जायेगा।

4. इस योजना पर होनेवाले राज्यांश (50%) राशि का व्यय योजना बजट शीर्ष 4215– जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय–01– जल पूर्ति–102 ग्रामीण जल पूर्ति– माँग संख्या –36 –उप शीर्ष –0118– प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में जलापूर्ति– विपत्र कोड–P4215011020118– राज्य योजना स्कीम कोड़– PUB– 5357– विषय शीर्ष–53 01– मुख्य निर्माण कार्य; 4215– जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय–01– जल पूर्ति–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– माँग संख्या –36 –उप शीर्ष –0106– प्राथमिक, मध्य विद्यालयों में जलापूर्ति विपत्र कोड–P4215017890106– राज्य योजना स्कीम कोड़– PUB– 5357– विषय शीर्ष–53 01– मुख्य निर्माण कार्य एवं 4215– जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय–01– जल पूर्ति–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना– माँग संख्या –36 –उपशीर्ष –0111– प्राथमिक,

मध्य विद्यालयों में जलापूर्ति विपत्र कोड–P4215017960111– राज्य योजना स्कीम कोड़– PUB– 5357– विषय शीर्ष–53 01– मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

5. इस योजना के अन्तर्गत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे। राशि की निकासी संबंधित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी। योजना पर होनेवाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा।

6. इस राशि में से स्थापना पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

7. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

8. योजना एवं गैर –योजना मद में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम4–53/2007– 96 वि0 (2), दिनांक 03.01.08 के आलोक में दिनांक– 31.01.2014 को हुई विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में तथा विभागीय मंत्री एवं वित्त मंत्री द्वारा इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

9. राज्यांश मद की राशि हेतु वर्ष 2014–15 के योजना बजट में प्रावधान है।

10. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनु0– यथोपरि।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक:– 1539 पटना, दिनांक– 4. 8.14

प्रतिलिपि:–

1. अनु0 सहित वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय, विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. अनु0 सहित अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव/ मुख्य अभियंता (नागरिक)/ मुख्य अभियंता (रूपांकण)/ सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/ अधीक्षण अभियंता (मो0)/ विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (मो0)/उप निदेशक, (मूल्यांकन/ /निदेशक, पी0एम0यू0/प्रशाखा– 6/ आई0टी0, मैनेजर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अनु0 सहित सभी संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ संबंधित अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल /संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0– यथोपरि।

AA 31/7/14
(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव

(11) परिशिष्ट — I (147)

वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के प्राथमिक / मध्य विद्यालयों में **ओवर हेड** टैंक के माध्यम से रनींग पेयजल की व्यवस्था ।

क्रम संख्या	जिला का नाम	लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (अदद में) 125 मि0 मी0 X 40 मि0 मी0 X 61 मीटर इंडिया मार्क –III पम्प, वाटर लिफ्टींग व्यवस्था के साथ चापाकल का निर्माण तथा 500 लीटर क्षमता का पी0 भी0 सी0 टैंक का प्रावधान	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में) @ रु0 1.11 लाख
1	2	3	4	5
1	पटना	पटना पूर्व	25	27.750
		पटना पश्चिम	25	27.750
2	नालन्दा	बिहारशरीफ	30	33.300
		हिलसा	20	22.200
3	भोजपुर	आरा	30	33.300
4	बक्सर	बक्सर	30	33.300
5	रोहतास	सासाराम	40	44.400
6	कैमूर	भभुआ	30	33.300
7	गया	गया	50	55.500
8	औरंगाबाद	औरंगाबाद	30	33.300
9	नवादा	नवादा	30	33.300
10	जहानाबाद	जहानाबाद	30	33.300
11	अरवल	अरवल	25	27.750
12	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	50	55.500
13	वैशाली	हाजीपुर	40	44.400
14	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	30	33.300
15	शिवहर	शिवहर	20	22.200
16	पूर्वी चम्पारण	मोतिहारी	30	33.300
		ढाका	20	22.200
17	पश्चिमी चम्पारण	बेतिया	40	44.400
18	समस्तीपुर	समस्तीपुर	50	55.500
19	दरभंगा	दरभंगा	40	44.400
20	मधुबनी	मधुबनी	50	55.500
21	बेगूसराय	बेगूसराय	30	33.300
22	सारण	छपरा	50	55.500
23	सिवान	सिवान	30	33.300
24	गोपालगंज	गोपालगंज	30	33.300
25	भागलपुर	भागलपुर पूर्व	30	33.300
		भागलपुर पश्चिम	20	22.200
26	बांका	बांका	30	33.300
27	मुंगेर	मुंगेर	30	33.300
28	शेखपुरा	शेखपुरा	25	27.750
29	लखीसराय	लखीसराय	30	33.300
30	जमुई	जमुई	30	33.300
	कुल		1100	1221.000
	लेबर सेस @ 1%			12.210
	निर्मित चापाकलों के अगले पाँच साल तक के रख–रखाव एवं मरम्मति हेतु राशि का प्रावधान (निर्माण के लागत राशि का औसत दो प्रतिशत प्रति वर्ष)			122.100
			कुल योग	1355.310

(तेरह करोड़ पचपन लाख एकतीस हजार रुपये मात्र)

Technical approval accorded for Rs. 1355.31 lakhs (Rupees thirteen Crores fifty lakhs thirty one thousand only)

(बीरेन्द्र कुमार) 19/12/13
मुख्य अभियंता (नागरिक)